

**झारखंड लोक सेवा आयोग**  
**सर्कुलर रोड, रांची - 834001**

**विज्ञापन**

आवेदन करने की अंतिम तिथि-23.01.2018

विज्ञापन संख्या 28 / 2017

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रणाधीन बी0आई0टी0 सिन्दरी में प्राध्यापक के रिक्त पदों पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. **पद का नाम :-** “प्राध्यापक” बी0आई0टी0, सिन्दरी
2. **वेतनमान :-** 37,400-67,000 + ग्रेड पे- Grade Pay with AGP-10000
3. **परीक्ष्यमान अवधि :-** 2 वर्ष
4. **रिक्तियों का विवरण :-** “प्राध्यापक” बी0आई0टी0, सिन्दरी

क्र० सं०	पद कोड	संकाय का नाम	अनु० जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-I	कुल रिक्तियाँ	अर्हता	अनुभव
1.	28/2017 (A)	यांत्रिक अभियंत्रण	01	00	01	प्रासंगिक शाखा में बीई/बीटेक और एमई/एमटेक जिसमें बी0ई/बीटेक अथवा एमई/एमटेक में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो तथा उपयुक्त विषयक्षेत्र में पीएच0डी0 अथवा समकक्ष।	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव सह प्राध्यापक स्तर पर होना चाहिए।
2.	28/2017 (B)	विद्युत अभियंत्रण	01	01	02	पोस्ट पीएच0डी प्रकाशन तथा पीएच0डी छात्रों को गाइड करना अत्यन्त वांछनीय। (Wanted very much)	शोध अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तक/शोध-पत्र, प्रकाशन/आईपीआर /पेटेंटों के रिकार्ड प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो सह प्राध्यापक के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइनिंग, आयोजन, कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध-पत्र प्रकाशन/आईपीआर /पेटेंटों, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसा कि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाय।
3.	28/2017 (C)	धातु अभियंत्रण	01	00	01		अथवा शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव

**टिप्पणी :**

- (i) पी0एच0डी0 की समकक्षता 5 अंतरराष्ट्रीय जरनल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक जरनल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।
- (ii) पी0एच0डी0 एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

- (iii) सहायक प्राध्यापक के पदधारी के लिए, सहायक प्राध्यापक के स्तर पर अनुभव पर सह प्राध्यापक के स्तर के अनुभव के समकक्ष विचार किया जाएगा, बशर्ते कि पदधारी सहायक प्राध्यापक ने प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पी0एच0डी0 डिग्री हासिल कर ली हो अथवा वह हासिल करता है।
- (iv) डिप्लोमा संस्थाओं के अनुभव पर डिग्री संस्थाओं में अनुभव के समकक्ष उपयुक्त स्तर पर तथा यथा लागू अनुसार भी विचार किया जाएगा तथापि, उपर्युक्त अर्हताएं अनिवार्य होगी।
- (v) यदि कोई वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है, योग के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम/वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया गया है तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंको में संपरिवर्तित किया जाएगा :-

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

5. **उम्र एवं अनुभव गणना की तिथि:-** परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के उम्र की गणना की तिथि **01.08.2015** होगी। सभी कोटियों के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष एवं अधिकतम आयु 57 वर्ष होगी। अनुभव गणना की संदर्भ तिथि आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि होगी।
6. **चयन का आधार :-** नियुक्ति हेतु निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जायेगा जिसके लिए अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :-

Academic Record & Research Performance (Total 20%)	Research Performance and Quality of Publications (40%)	Assessment of Domain Knowledge and teaching Skills (20%)	Interview Performance (20%)
BE/BTech/MA/MSc : 10 1 for every 2% after 60% (MA/MSc for Humanities and Science)	Research Guidance : <b>Max 5</b> Points per scholar/group (PhD-2.5/ME-1/BE 0.5/Dip - 0.25)	STTP/Wksp/Meets participation <b>Max 5</b> For 2 week 1 each For 1 week 0.5each For 2 days 0.25 each	
ME/MTech/ Mphil : 5 0.5 for every 2% after 60% (Mphil for Humanities and Science)	Research/Book Pub <b>Max 10</b> Int Referred Journals with ISSN No.-2/Pub. Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSN Number- 1/Publication. Text Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system By sole author - 1/Chapter In edited books - 0.5/Chapter Subject Books by National/State level Publishers and Central Government. Publications with ISBN/ISSN Numbers - By sole author - 0.5/ Chapter In edited books - 0.2/Chapter Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN Number - By sole author - 0.5/ Chapter In edited books - 0.25/Chapter Chapters contribution to edited knowledge based volumes (Published by International Publishers) -1/Chapter Chapters in Knowledge based volumes published by Indian/National level Publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories - 0.5/Chapter	Papers in Conference etc <b>Max 5</b> Int. Con with full paper publication 2 each National Con full paper publication 1 each State Con full paper publication 0.5 each	
PhD : 5			



Projects Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project -5 Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 5 Lakh up to 30.0 Lakh Project - 4 Minor Projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Project - 2	<b>Max 5</b>	Membership Professional Bodies <b>Max 3</b> International bodies 1 National bodies 0.5
Patents/Policy documents Minor policy document of Government Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/Process for Each Output/Patent of National level	<b>Max 5</b> <b>2.5 per</b>	Membership of Board of Studies (inhouse) <b>Max 2</b> University/SBTE 1 College/Inst 0.5
Consultancy Major consultancy for above Rs. 30.0 Lakh payment received - 5 Major consultancy for. 5 Lakh up to 30.0 Lakh payment received - 4 Major consultancy for Rs. 50,000 up to 5 Lakh payment received - 2	<b>Max 5</b>	Membership of Board of Studies (outside) <b>Max 2</b> Other Univ/Board 1 Other College/Inst 0.5
Invited/Keynote Address in Conference/Seminar/Symposia International National State Level	<b>Max-5</b> <b>2.5</b> <b>1.0</b> <b>0.5</b>	Membership of Editorial/Reviewer panel of journals <b>Max 3</b> International journals 1 National journals 0.5
Awards/Facilitations/ Distinctions Padma/Fellowship/Award of International Repute level - Fellowship/Facilitation at state level	<b>Max 5</b> <b>5</b> <b>2.5</b>	

नोट :- मेधा का आकलन 100 अंकों के आधार पर किया जायेगा।

7. मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.2012 के आलोक में निम्नवत् होगा :-
- |                      |   |     |
|----------------------|---|-----|
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I | - | 34% |
| अनुसूचित जनजाति      | - | 32% |

8. **आरक्षण :-**

- (क) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक- 6763 दिनांक- 05.08.2016 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ग) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि तथा प्राधिकार का विवरण आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा **अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।**
- (घ) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है। निर्धारित विहित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) जाति प्रमाणपत्र की **स्पष्ट एवं पठनीय** स्व-हस्ताक्षरित प्रति अन्य वांछित प्रमाणपत्रों के साथ विज्ञापन की कण्डिका 10(ज) के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

- (घ) आरक्षण से संबंधित उक्त कण्डिकाओं का अक्षरशः पालन नहीं किए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (छ) साक्षात्कार के समय आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (ज) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है :-

(i) **अनुसूचित जनजाति :-**

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5682 दिनांक 22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-I में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(ii) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I :-**

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-II (ननक्रीमीलेयर सहित) में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत अद्यतन (Updated) जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

**9. परीक्षा शुल्क:-**

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेविट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर उपलब्ध है।
- (ii) परीक्षा शुल्क के रूप में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) कोटि के उम्मीदवारों को रू0 600 (छह सौ) + बैंक चार्ज मात्र तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रू0 150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र देय होगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र का विवरण आवेदन पत्र में प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा।
- (iii) बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द समझे जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

**10. आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया एवं अन्य अनुदेश :-**

- (क) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210 X 297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट-[www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ख) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- (ग) आवेदन-पत्र में रिक्त आयतों का समुचित तरीके से इस प्रकार भरें जैसे :-



(i) आवेदन में देवनागरी लिपि में नाम. यथा; सचिन कुमार. इस प्रकार भरा जाय -

स	चि	न		कु	मा	र			
---	----	---	--	----	----	---	--	--	--

(ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें यथा - AMIT KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :-

A	M	I	T		K	U	M	A	R		R	A	M			
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--

(iii) उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।

(v) आवेदक "शैक्षणिक योग्यता" के अधीन 'प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।

(vi) आवेदक अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सकें।

(vii) यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा उसे क्रॉस (x) कर दें।

(घ) **फोटोग्राफ** :-आवेदन पत्र पर नियत आकार का फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

(ङ) आवेदक के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्तर्वीक्षा के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित है।

(छ) जन्म तिथि- आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष अंकित है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करेंगे।

(ज) अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001 के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या हाथों-हाथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।** लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम अंकित करना आवश्यक होगा।

(i) शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण (कंडिका-4 की सारणी के अनुसार यथा लागू)

(ii) आयु का प्रमाण (मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र अथवा समकक्ष),

(iii) मैट्रिक अथवा समकक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,

(iv) इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,

(v) बी0ई0/बी0टेक डिग्री अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

(vi) एम0ई0/एम0 टेक डिग्री अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

(vii) पीएच0डी0 प्रमाण पत्र (यथा लागू),

(viii) सक्षम प्राधिकार से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र,

(ix) सक्षम प्राधिकार (जो अनुमंडल पदाधिकारी से निम्न न हों) से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (कंडिका-8 के अनुसार यथा लागू)

(x) सक्षम प्राधिकार से निर्गत निःशक्तता (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) प्रमाण पत्र (केवल परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए)

**नोट:-**मूल प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा अभिलेख जाँच या अन्तर्वीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



- (झ) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ञ) आवेदन किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ट) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (ठ) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

**11. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम :-**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
  - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
  - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period.
  - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

**(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

**(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-**

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर

देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. अंतिम तिथि :-

- (क) भरा हुआ आवेदन पत्र (कडिका-10(ज) के अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ) केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों-हाथ (कार्यावधि में) इस प्रकार भेजे कि दिनांक-08.12.2017 से दिनांक-23.01.2018 अपराह्न 5:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ख) आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
- (ग) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/-  
सचिव,  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।